राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3,नरेगा)

विषयः पंचायतराज विभाग में चयनित कनिष्ठ लिपिकों के पदस्थापन के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में संविदा पर एक पद ग्राम रोजगार सहायक एवं एक पद कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (सेवा ऐजेन्सी) का स्वीकृत है। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति में चार पद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा एक पद कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (सीधा अनुबन्ध) का स्वीकृत है। प्रत्येक जिला परिषद में भी पांच पद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के स्वीकृत है, जिनकी अवधि दिनांक 31.08.2013 या पंचायतराज विभाग से उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कनिष्ठ लिपिक उपलब्ध होने जो भी पहले हो, तक के लिए बढी हुई है। पंचायतराज विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कनिष्ठ लिपिक के दो पद स्वीकृत किये है। इसी प्रकार पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में भी कनिष्ठ लिपिक के पद स्वीकृत किये गये है। इन पदों पर जिला परिषदों द्वारा भर्ती की जाकर नियुक्ति देने की कार्यवाही की जा रही है।

कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति ऐसे पदों पर भी की जा रही है जिन पर अभी संविदा कार्मिक कार्य कर रहे है तथा इनका अभी तक कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयन नहीं हुआ है। कुछ संविदा कार्मिकों का चयन कनिष्ठ लिपिक के पद पर हो गया है। वह कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते है, लेकिन अनुबन्ध की शर्त संख्या 7 (i) के अनुसार अनुबन्ध समाप्त करने के लिए संविदा कार्मिक द्वारा एक माह का नोटिस देने या एक माह का मानदेय जमा कराने की शर्त है। कई जिलों में संविदा कार्मिकों से संविदा समाप्त करने के लिए एक माह का मानदेय जमा करवाया जा रहा है। अतः इस संबंध में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान करावें :–

1. यदि वर्तमान में कार्यरत किसी संविदा कार्मिक का अभी कनिष्ठ लिपिक के पद पर किसी भी जिले में चयन नहीं हुआ है तो यथासंभव उसके स्थान पर अभी तक नियमित कनिष्ठ लिपिक का पदस्थापन नहीं किया जावे। चयनित कनिष्ठ लिपिकों का पदस्थापन सबसे पहले उन रिक्त पदों पर किया जावे, जिन पर वर्तमान में कोई संविदा कार्मिक कार्यरत नहीं है।
2. यदि संविदा पर कार्यरत किसी कार्मिक का चयन कनिष्ठ लिपिक के पद पर हो गया है तथा उसे पदस्थापन आदेश भी प्राप्त हो गया है तो उसके द्वारा अनुबन्ध समाप्त करने की लिखित में सहमति लेकर उसका अनुबन्ध तुरन्त समाप्त कर दिया जावे। ऐसी स्थिति में अनुबन्ध की शर्त संख्या 7 (i) के अनुसार संविदा कार्मिक द्वारा एक माह का नोटिस देने या एक माह का मानदेय जमा कराने की शर्त से छूट दे दी जावे।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

शासन सचिव एवं आयुक्त,
पंचायती राज विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

अ.शा0टीप क. एफ 12(5)ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010/पार्ट–6
जयपुर दिनांक : 5 JUL 2013

प्रतिलिपि :– अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस